

न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक—376/2026

ग्वालियर दिनांक 24.06.2026

:: कार्य विभाजन आदेश ::

(अंतर्गत धारा— 12 एवं 13 भा.नाग.सु.सं. 2023)

मैं प्रशान्त पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्वालियर जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य वितरण/संपादन हेतु पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को अतिष्ठित करते हुए निम्नांकित कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूं, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 29/06/2026 से प्रभावी होगा।

क्र०	मजिस्ट्रेट		अधिकार क्षेत्र		कार्य विभाजन
(1)	(2)		(3)		(4)
1	प्रशान्त पाण्डेय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर	1. A B C D E F 2.	आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय कम्पू पडाव झांसीरोड एस.टी.एफ. मुरार संपूर्ण तहसील ग्वालियर	A B	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्र द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 1. आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर के प्रकरण 3. सिनेमाटोग्राफ एक्ट 4. एम.व्ही. एक्ट के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि जे.एम.एफ सी. की अधिकारिता से अधिक हो। 5. पॉल्यूशन कंट्रोल एण्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के मामले 6. केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 7. छावनी अधिनियम 8. ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट 9. ऐसे समस्त न्यायिक कार्य जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के हैं और जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्र में विनिर्दिष्ट रूप से नहीं है। 10. मानसिक स्वास्थ्य अधि० 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां निम्नांकित से संबंधित प्रकरण एवं संबंधित कार्यवाहियां:- 1. तेजाब फेंकने या जलने से उद्भूत दांडिक प्रकरण 2. संपूर्ण जिले के आरक्षी केन्द्रों के एक्सपोज रिपोर्ट (ई.आर) 3. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 4. नापतौल अधिनियम 5. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण
		3	संपूर्ण ग्वालियर जिला क्षेत्र		

2	श्री एम.एन.एच. रजवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	1. A B	आरक्षी केन्द्र कोतवाली काईम ब्रांच	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना। नोट:- आरक्षी केन्द्र कोतवाली द्वारा प्रस्तुत समरी प्रकरणों निराकरण श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर/जि रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा।
3	श्री विजय पाल सिंह चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A B	आरक्षी केन्द्र थाटीपुर तिघरा	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना
4	श्रीमती नुरुन निशा अंसारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र हजीरा	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना
5	श्री निशान्त मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	1- A B 2-	आरक्षी केन्द्र जनकगंज महाराजपुरा संपूर्ण तहसील ग्वालियर	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना 1. म.प्र. नगर निगम अधि० से उद्भूत आपराधिक प्रकरण 2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण
6	श्री अजय प्रताप सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र ग्वालियर	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन

				पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय क्षेत्र के प्रस्तुत परिवाद-पत्रों/धारा 175 (3) बी.एन.एस. के आवेदनों का निराकरण
7	श्रीमती रेनू यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र महिला थाना पडाव	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र पनिहार, आरोन, हस्तिनापुर, जीआरपी एवं आरपीएफ के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां। (केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण) 3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले आरक्षी केन्द्रों एवं ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आवृत होने वाले मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 भा.नाग.सु.सं. 2023 संबंधी सभी मामले। 4. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
8	श्री जितेन्द्र सिंह परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर			1. आरक्षी केन्द्र माधौगंज, बहोडापुर, पडाव, हजीरा, मोहना, तिघरा क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
9	श्रीमती पल्लवी बंसल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर			1. आरक्षी केन्द्र माधौगंज, ग्वालियर, विश्वविद्यालय, गोले का मंदिर कोतवाली, गिरवाई, मोहना, घाटीगांव, भंवरपुरा, बेंहट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां। (केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण) 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले आरक्षी केन्द्रों एवं ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आवृत होने वाले मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 भा.नाग.सु.सं. 2023 संबंधी सभी मामले। 3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना

10	श्री सक्षम नरुला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र गोले का मंदिर नोट:- आरक्षी केन्द्र गोला का मंदिर मेला अवधि में सी.जे.एम. न्यायालय में रहेगा।	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
11	श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	1. A B C	आरक्षी केन्द्र यातायात पुरानी छावनी घाटीगांव	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र मुरार क्षेत्र के प्रस्तुत परिवाद-पत्रों/धारा 175 (3) बी.एन.एस. के आवेदनों का निराकरण 5. आरक्षी केन्द्र कोतवाली द्वारा प्रस्तुत समरी प्रकरण।
12	श्री सीताराम दास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र इंदरगंज	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र कम्पू क्षेत्र के प्रस्तुत परिवाद-पत्रों/धारा 175 (3) बी.एन.एस. के आवेदनों का निराकरण
13	सुश्री सोनल सिंह जादौन प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, ग्वालियर		किशोर न्याय बोर्ड	किशोर न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों का निराकरण।
14	श्री अतुल यादव स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट ग्वालियर	A B	आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी.(बी.जी एवं एन.जी.) आर.पी.एफ	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. रेलवे संपत्ति(अवैधानिक आधिपत्य) अधि0 1966 एवं रेलवे एं से संबंधित प्रकरण
15	श्रीमती हर्षिता सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र भंवरपुरा	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर)

				2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
16	श्री राजन गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र सिरौल	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र पडाव क्षेत्र के प्रस्तुत परिवाद-पत्रों/धारा 175 (3) बी.एन.एस. के आवेदनों का निराकरण
17	सुश्री चाहना शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर			1. आरक्षी केन्द्र मुरार, पडाव, झांसीरोड, हजीरा, महाराजपुरा, पुरानी छावनी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां। (केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण) 3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले आरक्ष केन्द्रों एवं ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आवृत होने वाले मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 भा.नाग.सु.सं. 2023 संबंधी सभी मामले। 4. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
18	सुश्री स्वाति गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर			1. आरक्षी केन्द्र जनकगंज, गोले का मंदिर, ग्वालियर, कोतवाली, काईम ब्रांच, भंवरपुरा क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटलमेंटएक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
19	श्रीमती प्रियंका सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र पनिहार	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना

20	श्री हर्षवर्धन धाकड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र आरोन	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
21	सुश्री फाल्गुनी शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर			1. आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी, कम्पू, थाटीपुर, गिरवाई, घाटीगांव, आरोन क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट ए सैटेलमेंटएक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
22	श्री कुणाल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर			1. आरक्षी केन्द्र इंदरगंज, झांसीरोड, महाराजपुरा, उटीला, बिजौली के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंटएक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
23	सुश्री सौम्या सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर			1. आरक्षी केन्द्र जनकगंज, इंदरगंज, बहोडापुर, कम्पू, ठाटी, सिरौल, के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रकूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित वि. कार्यवाहियां। (केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण) 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने व आरक्षी केन्द्रों एवं ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आवृत होने व मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 नाग.सु.सं. 2023 संबंधी सभी मामले। 3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
24	सुश्री मानसी बालूजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र बिजौली	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना

25	श्री उपमन्यु शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र उटीला	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र झांसीरोड क्षेत्र के प्रस्तुत परिवाद-पत्रों/धारा 175 (3) बी.एन.एस. के आवेदनों का निराकरण
26	श्री अनिरु कुमार उचाड़िया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र गिरवाई	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
27	श्री मानवेन्द्र सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर			1. आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय, मुरार, सिरौल, पनिहार, बेंहट, हस्तिनापुर क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटलमेंटएक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
28	श्री विशाल जेठवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र हस्तिनापुर	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
29	श्रीमती अदिति तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र बेंहट	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
30	श्री अंकुर तिवारी		आरक्षी केन्द्र	1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	माधौगंज		आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयव जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना
31	सुश्री शिखा रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर				1. आरक्षी केन्द्र काईमब्रांच, बिजौली, उटीला, तिघरा, अजाक के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां (केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण) 3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले आ केन्द्रों एवं ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आवृत्त होने वाले मामलों के छोड़कर) के अंतर्गत उदभूत धारा 144 से 147 भा.नाग.सु.सं. 202 संबंधी सभी मामले। 4. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना
32	श्री निशान्त बसोया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र मोहना		1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयव जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना
33	श्री ऋषभ दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	A	आरक्षी केन्द्र बहोडापुर		1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयव जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना
34	सुश्री माधुलिका खत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर				1. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयव जो भी हो। 2. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना
35	श्री सतिन्दर पान्नु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर				1. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयव जो भी हो। 2. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराक करना

36	सुश्री ऐका सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर				1. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 2. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
37	सुश्री मेघा सूर्यवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर				1. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 2. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
डबरा, जिला- ग्वालियर					
38	श्रीमती श्रुष्टि बी. शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील डबरा	A	आरक्षी केन्द्र डबरा (सिटी)		1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र डबरा(देहात) द्वारा प्रस्तुत धारा-183 भा.नाग.सु.सं. व आवेदनों का निराकरण
		2	संपूर्ण तहसील डबरा		1. संपूर्ण डबरा तहसील से उदभूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि० एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण 2. आबकारी विभाग डबरा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 3. खनिज विधियों एवं वन विधियों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण 4. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 अंतर्गत उदभूत आवेदन/प्रकरण
39	श्रीमती आयुषी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील डबरा	A B	आरक्षी केन्द्र पिछोर आंतरी		1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र डबरा(सिटी), डबरा(देहात), बिलौआ, पिछोर, आंतरी गिजौरा द्वारा प्रस्तुत धारा-183 भा.नाग.सु.सं. के आवेदनों का निराकरण करना (महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों में)
40	श्री अर्पित जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील डबरा	A	आरक्षी केन्द्र बिलौआ		1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु

					जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र डबरा(सिटी) द्वारा प्रस्तुत धारा-183 भा.नाग.सु.सं. के आवेदनों का निराकरण
41	श्री देवांश अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील डबरा	A	आरक्षी केन्द्र डबरा (देहात)		1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र गिजौरा, बिलौआ द्वारा प्रस्तुत धारा-183 भा.नाग.सं. के आवेदनों का निराकरण
42	सुश्री नेहा सिंह परिहार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील डबरा	1 A	आरक्षी केन्द्र गिजौरा		1. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना 4. आरक्षी केन्द्र पिछोर, आंतरी द्वारा प्रस्तुत धारा-183 भा.नाग.सु.सं. आवेदनों का निराकरण
		2	संपूर्ण तहसील डबरा		1. संपूर्ण डबरा तहसील के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले, धारा 144 से 147 भा.नाग.सु.सं. 2023 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां। (केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण)
भितरवार, जिला- ग्वालियर					
43	श्रीमती पूनम कटारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील भितरवार	1 A B	आरक्षी केन्द्र बेलगढा करहिया		क. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) ख. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयक जो भी हो। ग. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना घ. आरक्षी केन्द्र भितरवार द्वारा प्रस्तुत धारा- 183 भा.नाग.सु.सं. के आवेदनों का निराकरण

		2	संपूर्ण तहसील भितरवार		1. संपूर्ण भितरवार तहसील से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण 2. आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 3. खनिज विधियों एवं वन विधियां के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
44	श्री संजय जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील भितरवार	1 A	आरक्षी केन्द्र भितरवार		क. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) ख. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। ग. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना घ. आरक्षी केन्द्र बेलगढा, चीनौर द्वारा प्रस्तुत धारा-183 भा.नाग.सु.सं. के आवेदनों का निराकरण
45	श्रीमती प्रियंका दांगी कुशवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील भितरवार	1 A	आरक्षी केन्द्र चीनौर		क. कालम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) ख. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। ग. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना घ. आरक्षी केन्द्र करहिया द्वारा प्रस्तुत धारा-183 भा.नाग.सु.सं. के आवेदनों का निराकरण

सामान्य आदेश :

1. इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. इस आदेश के निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
3. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. मध्य प्रदेश शासन, विधि विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला-ग्वालियर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य हैं, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

नोट- किसी न्यायालय के आवश्यक कार्य में क्रमांक 5, 6 एवं 7 में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।

5. रिमांड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, सुपुर्दगीनामा आवेदन तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान, जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता है।
6. जहां पीठासीन न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर हैं और उनके समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरण में कोई ऐसा साक्षी उपस्थित हुआ है, जिसका वृद्धावस्था, बीमारी या आने वाले स्थान से अत्यधिक दूरी, सेवा शर्तों के कारण अवकाश ना मिलने की संभावना, आने-जाने में अत्यधिक व्यय संभावित होने आदि कारणों से पुनः साक्ष्य हेतु उपस्थित होना असाध्य, अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या अत्यंत असुविधाजनक है, वहां पर ऐसे मामले वापस लिये जाकर इन्चार्ज मजिस्ट्रेट को उक्त दिनांक को विधिवत निराकरण हेतु अंतरित समझा जाएगा और इन्चार्ज मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त साक्षी का कथन लिपिबद्ध किया जाएगा।

7. ऐसे मामले जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हैं एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक करने के लिए तत्पर है, तो संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का प्रभार के दौरान निराकरण करेंगे तथा ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।
8. **समस्त मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकारिता वाले क्षेत्र में चलित न्यायालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना के उपरांत आयोजित करेंगे।**
9. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में, अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु विधि अनुसार अन्यथा सशक्त होने पर अधिकृत रहेंगे।
10. वर्तमान में आस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों के द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों में वर्तमान में आस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। यदि स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाला न्यायालय रिक्त नहीं है, तो ऐसी दशा में स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में अभियुक्त को उसी न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा, जिस न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है।
11. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उर्पापण कार्यवाही के दौरान उर्पापण आदेश पारित किये जाते समय **अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित मामले में जप्त संपत्ति प्रस्तुत कर दी गयी है।**
12. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन तहसील ग्वालियर के समस्त आरक्षी केन्द्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का क्षेत्राधिकार होगा।
13. अवकाश दिवस में रिमाण्ड कार्य से संबंधित विचाराधीन बण्डल फाइल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में अविलंब भेजे जावें।
14. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।
15. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने अपने आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदनों/परिवाद पत्रों/ विविध आवेदनों का निराकरण करेंगे।
16. **विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट ग्वालियर दूर प्रोग्राम हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सूचित करेंगे।**
17. पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय, जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, की अपील/निगरानी में माननीय अपीलीय न्यायालय/माननीय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन ग्वालियर में **श्री हर्षवर्धन धाकड़** जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर के न्यायालय द्वारा, डबरा में **श्री अर्पित जैन**, जे.एम.एफ.सी. डबरा के द्वारा एवं भितरवार में **श्रीमती प्रियंका दांगी कुशवाह** जे.एम.एफ.सी. भितरवार द्वारा किया जावेगा।
18. धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित प्रकरणों में पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय, जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, की अपील/निगरानी में माननीय अपीलीय न्यायालय/माननीय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन **श्री जितेन्द्र सिंह परमार** जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।
19. महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों से संबंधित प्रकरणों में पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय, जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, की अपील/निगरानी में माननीय अपीलीय न्यायालय/माननीय पुनरीक्षण न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन श्रीमती पल्लवी बंसल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

20. महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों में धारा 183 भा.नाग.सु.सं. 2023 के कथनों का प्रभार निम्नानुसार दिया जाता है:-

क	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम	द्वितीय प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम	तृतीय प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम
1	काईमब्रांच, बिजौली, उटीला, तिघरा, अजाक	श्रीमती रेनू यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्रीमती पल्लवी बंसल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	सुश्री सौम्या सिंह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
2	जनकगंज, इंदरगंज, बहोडापुर, कम्पू, ठाटीपुर, सिरौल	श्रीमती पल्लवी बंसल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	सुश्री शिखा रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	सुश्री चाहना शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
3	मुरार, पडाव, झांसीरोड, हजीरा, महाराजपुरा, पुरानी छावनी	सुश्री सौम्या सिंह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्रीमती रेनू यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	सुश्री शिखा रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
4	माधौगंज, ग्वालियर, विश्वविद्यालय गोले का मंदिर, कोतवाली, बेंहट गिरवाई, मोहना, घाटीगांव, भंवरपुरा	सुश्री चाहना शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	सुश्री सौम्या सिंह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्रीमती रेनू यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
5	पनिहार, आरोन, हस्तिनापुर, जीआरपी एवं आरपीएफ, महिला थाना पडाव	सुश्री शिखा रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	सुश्री चाहना शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्रीमती पल्लवी बंसल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर

21. महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों को छोड़कर अन्य मामलों में धारा 183 भा.नाग.सु.सं. 2023 के कथनों का प्रभार निम्नानुसार दिया जाता है:-

क्र०	पुलिस थाना	प्रथम प्रभारी मजिस्ट्रेट	द्वितीय प्रभारी मजिस्ट्रेट	तृतीय प्रभारी मजिस्ट्रेट
1	मुरार, आरोन, माधौगंज, बेंहट, एस.टी.एफ.,	श्री विशाल जेठवा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री राजन गुप्ता जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री जितेन्द्र सिंह परमार जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
2	पडाव, झांसीरोड, गिरवाई, कोतवाली, सिरौल,	श्री ऋषभ दीक्षित जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री हर्षवर्धन धाकड़ जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री मानवेन्द्र सिंह यादव, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
3	पुरानी छावनी, महाराजपुरा ग्वालियर, कम्पू	श्री अंकुर तिवारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री सीताराम दास जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री कुणाल वर्मा, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
4	इंदरगंज, उटीला, काईम ब्रांच पनिहार, ठाटीपुर	श्री निशांत बसोया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री सक्षम नरुला, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री सतिन्दर पन्नू जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
5	तिघरा, हस्तिनापुर, अजाक, जनकगंज, बिजौली	श्री सतिन्दर पन्नू जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री अजय प्रताप सिंह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री हर्षवर्धन धाकड़ जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
6	बहोडापुर, गोले का मंदिर, मोहना, जीआरपी एवं आरपीएफ, साइबर सैल	श्री अनिरुद्ध कुमार उचाड़िया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री विजयपाल सिंह चौहान जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री राजन गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर
7	सी.बी.आई, भंवरपुरा, हजीरा, विश्वविद्यालय, घाटीगांव,	श्री उपमन्यु शुक्ला जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री एम0एन0एच0 रजवी, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	श्री विशाल जेठवा, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर

22. धारा 183 भा.नाग.सु.सं. 2023 के आवेदनों के निराकरण के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उसके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदनों का निराकरण किया जावेगा, यदि प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास धारा 183 भा.नाग.सु.सं. 2023 के आवेदन से संबंधित मूल आरक्षी केन्द्र का प्रभार है, तो उनके द्वितीय प्रभारी/तृतीय प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 भा.नाग.सु.सं. 2023 के आवेदनों का निराकरण किया जावेगा तथा भितरवार स्थापना पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपलब्ध नहीं होने पर धारा 183 भा.नाग.सु.सं. 2023 के आवेदनों का निराकरण **श्रीमती आयूषी अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. डबरा** के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे एवं उनके अनुपस्थित रहने की दशा में उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
23. **सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण की अधिकारिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला रजिस्ट्रार ग्वालियर के न्यायालय को संयुक्ततः रहेगी।**
24. धारा 196(1) भा.नाग.सु.सं. 2023 के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है:-

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	श्री एम.एन.एच. रजवी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	27.06.2026	30.06.2026
2	श्री विजयपाल सिंह चौहान, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.07.2026	15.07.2026
3	श्रीमती नुरुन निशा अंसारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.07.2026	31.07.2026
4	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.08.2026	15.08.2026
5	श्रीमती रेनू यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.08.2026	31.08.2026
6	श्री जितेन्द्र सिंह परमार जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.09.2026	15.09.2026
7	श्रीमती पल्लवी बंसल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.09.2026	30.09.2026
8	श्री सक्षम नरुला जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.10.2026	15.10.2026
9	श्री सीताराम दास, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.10.2026	31.10.2026
10	श्रीमती हर्षिता सोनी, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.11.2026	15.11.2026
11	श्री राजन गुप्ता जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.11.2027	30.11.2026
12	सुश्री चाहना शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.12.2026	15.12.2026
13	सुश्री स्वाति गोयल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.12.2026	31.12.2026

14	सुश्री प्रियंका सोलंकी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.01.2027	15.01.2027
15	श्री हर्षवर्धन धाकड जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.01.2027	31.01.2027
16	सुश्री फाल्गुनी शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.02.2027	15.02.2027
17	श्री कुणाल वर्मा, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.02.2027	28.02.2027
18	सुश्री सौम्या सिंह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.03.2027	15.03.2027
19	श्रीमती मानसी बालूजा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.03.2027	31.03.2027
20	श्री उपमन्यु शुक्ला जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.04.2027	15.04.2027
21	श्री अनिरुद्ध उचारिया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.04.2027	30.04.2027
22	श्री मानवेन्द्र सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.05.2027	15.05.2027
23	श्री विशाल जेठवा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.05.2027	31.05.2027
24	श्रीमती अदिति तिवारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.06.2027	15.06.2027
25	श्री अंकुर तिवारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.06.2027	30.06.2027
26	सुश्री शिखा रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.07.2027	15.07.2027
27	श्री निशांत बसोया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.07.2027	31.07.2027
28	श्री ऋषभ दीक्षित जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.08.2027	15.08.2027
29	सुश्री मधुलिका खत्री जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.08.2027	31.08.2027
30	श्री सतिन्दर पान्नु जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.09.2027	15.09.2027
31	सुश्री ऐका सोनी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.09.2027	30.09.2027

32	सुश्री मेघा सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.10.2027	15.10.2027
डबरा			
33	श्रीमती सुष्टि बी शाह जे.एम.एफ.सी. डबरा	जून एवं जुलाई 2026	अप्रैल 2027
34	श्रीमती आयूषी गअवाल जे.एम.एफ.सी. डबरा	अगस्त एवं सितम्बर 2026	मई 2027
35	श्री अर्पित जैन जे.एम.एफ.सी. डबरा	अक्टूबर एवं नवंबर 2026	जून 2027
36	श्री देवांश अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. डबरा	दिसम्बर 2026 एवं जनवरी 2027	जुलाई 2027, सितम्बर 2027
37	सुश्री नेहा सिंह परिहार जे.एम.एफ.सी. डबरा	फरवरी एवं मार्च 2027	अगस्त 2027, अक्टूबर 2027
भितरवार			
38	श्रीमती पूनम कटारिया जे.एम.एफ.सी. भितरवार	जून से अगस्त 2026	मार्च से अप्रैल 2027
39	श्री संजय जैन जे.एम.एफ.सी. भितरवार	सितम्बर से नवम्बर 2026	मई से जुलाई 2027
40	श्रीमती प्रियंका दांगी कुशवाह जे.एम.एफ.सी. भितरवार	दिसम्बर 2026 से फरवरी 2027	अगस्त से अक्टूबर 2027

नोट:- मृतक बंदी की मृत्यु दिनांक/पंचनामा बनाये जाने की दिनांक को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मृत्यु जांच/पंचनामा की कार्यवाही उनके प्रभार में कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

25. आरक्षी केन्द्र यातायात ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत ई-चालन संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा उक्त ई-चालन का निराकरण किया जाएगा।
26. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण/पदोन्नति आदि हो जाती है, तो उनके स्थान पर आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम उक्त दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक में पढा जावे।
27. धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित ऐसे गिरफ्तारी वारण्ट, जो ग्वालियर से बाहर के जिले के पुलिस अधिकारियों को भेजे गये हैं, और संबंधित न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, तो ऐसे वारण्ट/ऐसे वारण्टों से संबंधित विविध कार्यवाहियां **श्री कुणाल वर्मा, जे.एम.एफ.सी.** ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
28. पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय/आदेश के अनुक्रम में आपराधिक प्रकरणों/बण्डल प्रकरणों में दी गयी जमानत निरस्तगी/भारमुक्त किये जाने संबंधी कार्यवाही **श्री हर्षवर्धन धाकड** जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।
29. पुलिस आरक्षी केन्द्रों से धारा 52-ए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (माननीय विशेष न्यायालय अंतर्गत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 द्वारा विचारणीय प्रकरणों में) के तहत प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर संबंधित अपराध में जप्तशुदा मुद्देमाल का भौतिक सत्यापन संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

- ए. उक्त अधिनियम के संबंध में आरक्षी केन्द्र **कम्पू** से प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण **श्रीमती हर्षिता सोनी**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर द्वारा किया जाएगा।
- बी. उक्त अधिनियम के संबंध में आरक्षी केन्द्र **पड़ाव** से प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण **सुश्री चाहना शर्मा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर द्वारा किया जाएगा।
- सी. उक्त अधिनियम के संबंध में आरक्षी केन्द्र **झांसीरोड** से प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण **श्रीमती सौम्या सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर द्वारा किया जाएगा।
- सी. उक्त अधिनियम के संबंध में आरक्षी केन्द्र **विश्वविद्यालय** से प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण **श्रीमती प्रियंका सोलंकी**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर द्वारा किया जाएगा।
- डी. उक्त अधिनियम के संबंध में आरक्षी केन्द्र **एस.टी.एफ. ग्वालियर** से प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण **श्रीमती मानसी बालूजा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर द्वारा किया जाएगा।
- ई. उक्त अधिनियम के संबंध में आरक्षी केन्द्र **मुरार** से प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण **सुश्री मेघा सूर्यवंशी**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर द्वारा किया जाएगा।

नोट:- मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामलों में उक्त कार्यवाही संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

30. **नारकोटिक्स विभाग ग्वालियर** से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल का भौतिक सत्यापन धारा 52-ए के तहत निम्नानुसार किया जावेगा:-

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	श्री एम.एन.एच. रजवी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	27.06.2026	30.06.2026
2	श्री विजयपाल सिंह चौहान, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.07.2026	15.07.2026
3	श्रीमती नुरुन निशा अंसारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.07.2026	31.07.2026
4	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.08.2026	15.08.2026
5	श्रीमती रेनू यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.08.2026	31.08.2026
6	श्री जितेन्द्र सिंह परमार जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.09.2026	15.09.2026
7	श्रीमती पल्लवी बंसल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.09.2026	30.09.2026

8	श्री सक्षम नरूला जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.10.2026	15.10.2026
9	श्री सीताराम दास, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.10.2026	31.10.2026
10	श्रीमती हर्षिता सोनी, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.11.2026	15.11.2026
11	श्री राजन गुप्ता जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.11.2027	30.11.2026
12	सुश्री चाहना शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.12.2026	15.12.2026
13	सुश्री स्वाति गोयल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.12.2026	31.12.2026
14	सुश्री प्रियंका सोलंकी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.01.2027	15.01.2027
15	श्री हर्षवर्धन धाकड जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.01.2027	31.01.2027
16	सुश्री फाल्गुनी शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.02.2027	15.02.2027
17	श्री कुणाल वर्मा, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.02.2027	28.02.2027
18	सुश्री सौम्या सिंह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.03.2027	15.03.2027
19	श्रीमती मानसी बालूजा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.03.2027	31.03.2027
20	श्री उपमन्यु शुक्ला जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.04.2027	15.04.2027
21	श्री अनिरुद्ध उचारिया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.04.2027	30.04.2027
22	श्री मानवेन्द्र सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.05.2027	15.05.2027
23	श्री विशाल जेठवा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.05.2027	31.05.2027
24	श्रीमती अदिति तिवारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.06.2027	15.06.2027
25	श्री अंकुर तिवारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.06.2027	30.06.2027
26	सुश्री शिखा रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.07.2027	15.07.2027

27	श्री निशांत बसोया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.07.2027	31.07.2027
28	श्री ऋषभ दीक्षित जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.08.2027	15.08.2027
29	सुश्री मधुलिका खत्री जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.08.2027	31.08.2027
30	श्री सतिन्दर पान्नु जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.09.2027	15.09.2027
31	सुश्री ऐका सोनी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16.09.2027	30.09.2027
32	सुश्री मेघा सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01.10.2027	15.10.2027

दिनांक : 24.06.2026

(प्रशांत प्रोडेंड्य)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ग्वालियर (म.प्र.)

(ललित किशोर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म.प्र.)
27 JUN 2026

पृष्ठांकन क्रमांक 381/2026

ग्वालियर दिनांक: 27/06/2026

प्रतिलिपि वास्ते जानकारी हेतु

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
- 2- माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर
- 3- कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर
- 4- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सतर्कता) महोदय ग्वालियर
- 5- माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय ग्वालियर
- 6- समस्त माननीय अपर सत्र न्यायाधीशगण ग्वालियर/डबरा/भितरवार की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर/डबरा/भितरवार की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8- कलेक्टर जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- एस.डी.ओ.पी. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 11- एस.डी.ओ.पी. डबरा जिला- ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 12- एस.डी.ओ.पी. भितरवार जिला- ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 13- जिला अभियोजन अधिकारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 14- सचिव बार एसोसियेशन ग्वालियर/डबरा/भितरवार जिला ग्वालियर की ओर अवगत कराये जाने हेतु।
- 15- सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विविध आदेश समस्त न्यायाधीशगण ग्वालियर/डबरा/भितरवार के ई.मेल पर अपलोड किया जावे।
- 16- केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय/पूछताछ कार्यालय जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ग्वालियरयादव